सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: **NCST/ATY-1756/MH/204/2024-RO-BH**

दिनांक: 27.05.2026

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला- पुणे,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
सासून अस्पताल के सामने,
स्टेशन रोड, पुणे-411001
ई-मेल: collector.pune@maharashtra.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-पुणे (ग्रामीण),
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
पुणे (ग्रामीण), महाराष्ट्र
ई-मेल: sp.pune.r@mahapolice.gov.in

विषय: दैनिक समाचार पत्र पुढारी में प्रकाशित खबर ''कायत्याने वार करून मजुराला कारने चिरडले'' के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान के संबंध में।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 30.07.2024 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 15.06.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising power of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)
(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(REGIONAL OFFICE FOR MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERELA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)

नोटिस

फा. सं.: NCST/ATY-1756/MH/204/2024-RO-BH

दिनांक: 30/07/2024

1. डॉ. सुहास दिवासे
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
कलेक्टर कार्यालय,
सासुन अस्पताल के सामने, स्टेशन रोड,
पुणे, महाराष्ट्र 411001
Email Id: rdc.pune-mh@gov.in

2. श्री.पंकज देशमुख
पुलिस अधीक्षक,
सेंट जोसेफ स्कूल के सामने,
पाषाण रोड, चव्हाण नगर, पाषाण,
पुणे, महाराष्ट्र 411008

विषय: दैनिक समाचार पत्र पुढारी में प्रकाशित खबर "कायत्याने वार करून मजुराला कारने चिरडले" के संबंध में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को दैनिक पुढारी से दिनांक 05/07/2024 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **03 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है।

o/c

(अंकित कुमार सेन/Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रिय अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National Commission for Sch. Tribes, Bhopal
प्रेषण संख्या / Issue No. 3527-28
01/08/24

कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011
E-mail : ro-bhopal@ncst.nic.in, Telefax : 0755-2576530, 2578272